न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 70/2021

अनवान : –

1. किरण पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. साधुराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र साधुराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. छिद्रपाल पुत्र साधुराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री साधुराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. सीता पुत्री साधुराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. कमला पत्नी साधुराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
7. सचिन कुमार पुत्र जगदीश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता शकुन्तला पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक बिरकाली तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **सायलान**
श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः -24/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 172/159 की कुल 14.070 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 व रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 203/203 की कुल 2.3840 में से 609/2384 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायलान की पैतृक कृषि भूमि है जो की पूर्व में सायलान के दादा रामजीलाल के नाम दर्ज थी। रामजीलाल के देहान्त के बाद गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज हुई व गैरसायल संख्या 1 ने खाता स0 203/203 की भूमि अपनी पत्नी कमला के पक्ष में दान कर दी। सायला व उसकी माता को व उसके भाई जो की नाबालिग है को अलगर कर रखा है तथा गैरसायल स0 1 व 6 अपने अकेले के नाम दर्ज भूमि होने का नाजायज फायदा उठा रहे है एवं सायला को उसके हक हिस्सा से [illegible] है एवं भूमि को बेचान करना चाहते है अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब [illegible] तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 172/159 की कुल 14.070 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 व रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 203/203 की कुल 2.3840 में से 609/2384 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 6 के नाम दर्ज है उक्त कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 172/159 में गैरसायल स0 1 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे से गैरसायल स0 1 का 0.70185 हिस्सा बनता है एवं रोही मौजा किंकराली के खाता स0 203/203 की कुल 2.3840 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 0.609 हैक्ट भूमि दर्ज है जिसमें 5 हिस्सेदार होने की वजह से गैरसायन संख्या 1 का भी 0.1218 हैक्ट हिस्सा भूमि बनती है। इस प्रकार दोनो खातो में गैरसायल स 1 के नाम 0.82365 हैक्ट भूमि दर्ज किया जाना उचित है एवं गैरसायल स0 6 केक नाम 0.609 हैक्ट भूमि दर्ज व शेष भूमि गैरसायल संख्या 1 खाता स0 172/159 में से प्राप्त करने का अधिकारी है। गैरसायल स0 1 ने सायला के पिता यानि की गैरसायल स0 2 को उनके हिस्से की 0.82365 हैक्ट भूमि का कब्जा काश्त दे दिया है। रोही मौजा किंकराली के खाता स0 172/159 की भूमि में से 0.21465 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 व शेष भूमि सायल स0 1 व गैरसायला स0 2 ता 7 बहिब 0.82365 हैक्ट भूमि दर्ज की जाती है तो हम गैरसायलान को कोई ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों रामजीलाल वल्द के नाम दर्ज रही है और रामजीलाल के बाद सायला के दादा व दादी यानि की अप्रार्थी स0 1 व 6 के नाम दर्ज हुई है। अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में वि[illegible] [illegible] को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में [illegible] होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद [illegible] ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो [illegible]ां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 व 6 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीया का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 172/159 की कुल 14.070 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 व रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 203/203 की कुल 2.3840 में से 609/2384 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 6 के नाम दर्ज है की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:16 IST
Reason: SelfAttested